न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 166/2018 निर्णय दिनांक :–19.07.19

उनवानी दावा :

मोहनलाल पुत्र श्री लाखा उर्फ लखमा जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी सेन्दियावास तहसील देवली जिला–टोंक

–वादी –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार महोदय, तहसील देवली जिला टोंक
3. निहाल देवी पुत्री लाखा उर्फ लखमा पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति मीणा उम्र 54 वर्ष निवासी गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला–बूंदी राज0

–प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री विरेन्द्र कुमार जैन
अधिवक्ता वादीगण

तहसीलदार देवली
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादीया संख्या 3

दावा उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा मीणा पुत्र रतना निवासी सेन्दियावास की खातेदारी की भूमि ख0नं0 842 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम सेन्दियावास तहसील देवली में स्थित है जिसमें उनका 1/4 हिस्सा है तथा खाता संख्या 280 ख0नं0 492 रकबा 0.04 है0 गै0मु0बाडा तथा खाता संख्या 91 ख0नं0 31 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 80 रकबा 0.04 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 81 रकबा 0.12 है0 वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा पुत्र रतना निवासी सेन्दियावास की खातेदारी में है जो कुल रकबा 0.20 है0 में 1/32 हिस्सा है। उक्त भूमि ग्राम सेन्दियावास में स्थित है और वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा पुत्र रतना मीणा निवासी सेन्दियावास का स्वर्गवास दिनांक 14.09.2015 को होने के पश्चात वादी एकमात्र वारिस, मालिक, काबिज खातेदार है। वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा पुत्र रतना मीणा निवासी सेन्दियावास की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 303 ख0नं0 1274 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 1275 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 1276 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1277 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 1298 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 1300 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 1301 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 1301/1674 रकबा 0.61 है0 कुल किता–8, कुल रकबा 4.18 है0 वाके ग्राम सिरोही तहसील देवली में स्थित है जिसमें वादी के पिता का 1/4 हिस्सा है। वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा मीणा का स्वर्गवास दिनांक 14.09.2015 को हो चुका है उसके पश्चात से ही वादी एकमात्र वारिस एवं उक्त भूमि

का मालिक काबिज खातेदार है। वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा मीणा पुत्र रतना मीणा निवासी सेन्दियावास के वादी के अलावा एक जीवित पुत्री प्रतिवादी सं0 3निहाल देवी है जिसकी शादी वादी के पिता ने अपने जीवन काल में लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0 के साथ की थी जो निहाल देवी आज भी उनकी पत्नि होने के नाते उनके साथ ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में निवास कर रही है।वादी एवं उसके पिता लाखा उर्फ लखमा मीणा तथा प्रतिवादी सं0 3 निहाल देवी पुत्री लाखा उर्फ लखमा मीणा, मीणा जाति से संबंध रखते है तथा हिन्दु नही होकर अनुसूचित जनजाति में आते है और इन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नही होकर रूढीकर कानून लागू होते है। जिसके तहत अनुसूचित जनजाति में मीणा जाति होने के कारण मीणा जाति की विवाहित स्त्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में हक, अधिकार नही होता है इस आधार पर लाखा उर्फ लखमा मीणा निवासी सेन्दियावास की उपरोक्त ग्राम सेन्दियावास व सिरोही में स्थित चरण नं0 1 व 2 में वर्णित खाता संख्या एवं ख0नं0 की भूमि में वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा मीणा के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी सं0 3 निहाल देवी का कोई हक, हिस्सा नही है और ना ही वह काबिज है और वादी एकमात्र कानूनन वादी के पिता लाखा उर्फ लखमा मीणा निवासी सेन्दियावास की उक्त आराजी भूमि वाके ग्राम सेन्दियावास व सिरोही जिनका वर्णन चरण नं0 1 व 2 में किया हुआ है, अपने नाम खातेदारी में लगवाने एवं खातेदार घोषित करवाने एवं उसी अनुरूप खाता दुरूस्त करवाने का अधिकारी है जिसके लिये यह वाद पेश है। वादी ने प्रतिवादी सं0 2 यहां दिनांक 08.03.2018 को प्रार्थना पत्र वाद पत्र के चरण नं0 1 व 2 में वर्णित आराजीयात का अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर आज तक नामान्तकरण नहीं खोला गया और ना ही वादी को खातेदार घोषित कर वादी के नाम उक्त भूमि का खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया गया और ना ही नामान्तकरण खोला गया इसलिये वादी के पास खातेदारी घोषित करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। वादी उक्त भूमि जो वाद के चरण नं0 1 व 2 में वर्णित है, का कानूनी वारिस लाखा उर्फ लखमा मीणा का होने के कारण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी लगवाने का अधिकारी है। जिसके लिये यह वाद पत्र पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 3 ने इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से तहसीलदार देवली ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया है। बिन्दु 3 को साबित करने का उतरदायिव वादी का है। बिन्दु संख्या 4 का सम्बन्ध वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 मृतक लाखा उर्फ लखमा मीणा के कानन वारीस से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 5 व 6 का सम्बन्ध न्यायालय से है। विशेष में बताया कि मृतक लाखा उर्फ लखमा जति मीणा के नाम दर्ज भूमि का विरासत का नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य खोलने से सम्बन्धित है। वादी व प्रतिवादी मृतक के पुत्र एव पुत्री है। उक्त प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं है।

तहसीलदार के जवाब अवलोकन से तनकियात की आवश्यकता नहीं है।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी मोहनलाल के पेश किये जिसमें वाद के तथ्यो को ही पेश किया गया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी लाखा जाति मीणा का कायम मुकाम वारिसान है। लाखा के वादी के अलावा एक पुत्री निहाल देवी है जिसका विवाह वादी के पिता के जीवनकाल में ही लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी गोकुलपुरा से हो गया। प्रतिवादीया निहाल देवी ने भी वादी के समर्थन में इकबालिया जवाब पेश किया है। वादी अनुसुचित जन जाति का व्यक्ति है जिस पर हिन्दू उतरधिकार नियम लागू नही होता है। मीणा जन जाति में पुत्री विवाह बाद पिता की सम्पति में कोई अधिकार शेष नही रह जाते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा दावा डिक्री किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 303, जमाबन्दी सम्वत 2071–774 खाता संख्या 100, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 280, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 91, में लाखा पुत्र रतना खातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मृत्यु प्रमाण पत्र लखमा राम मीणा पुत्र रतनाराम मीण दिनांक 02.10.15 के अनुसार लखमा राम की मृत्यु हो चुकी है। वादी ने अपने वाद व बहस में यह स्वीकार किया है कि लाखा के एक पुत्र और एक पुत्री भी है जो लखमा के जायज कायम मुकामान है और हिन्दू उतराधिकार नियम के अनुसार पुत्री भी पिता की चल अचल सम्पति में बराबर की हकदार है जबकि अधिवक्ता वादी का वाद व बहस में कथन है कि मीणा एक अनुसूचित जन जाति है जिस पर हिन्दू उतराधिकार लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध मे अधिवक्ता वादी द्वारा कोई नियम/कानून पेश नहीं किया है। अतः नियम/कानून के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 20.07.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली